धारा 174 : निरसन और व्यावृत्ति

(1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 84 में सम्मिलित मालों के सिवाय), औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16), अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58), अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है), का निरसन किया जाता है।

(2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित उस विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति, ''ऐसा संशोधन'' या ''संशोधित अधिनियम'' कहा गया है),–

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी अप्रवृत्त या अविद्यमान विधि को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों और आदेशों के पूर्व में प्रवर्तन में होने या उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन या ऐसे संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन किए गए आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा :

परन्तु किसी अधिसूचना के द्वारा निवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है;

(घ) किसी शुल्क, कर, अधिभार, जुर्माने, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के प्रति किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या किए गए किसी समपहरण या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा;

(ड.) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और संपरीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य किसी विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी शुल्क, कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और संपरीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तन में रखा जा सकेगा और ऐसे किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज, समपहरण या दंड को इस प्रकार उद्गृहीत या अधिरोपित किया जा सकेगा मानो इन अधिनियमों को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है;

(च) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके अंतर्गत किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन इस प्रकार जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को, निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला, नहीं समझा जाएगा।

उपयुक्त नियमः नियम 142क

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–07क, जीएसटी डीआरसी–08क एवं जीएसटी पीएमटी–01